

GRPI-539-6L-3-92

1. श्रीमती इमलाबाई उम्र 37 साल पति नेमीचंद जाति पंवार नि. परसवाड़ा जि. बालाघाट
2. श्रीमती फगनबाई उर्फ ममताबाई उम्र 33 वर्ष पति महेश पटले नि. रेहंगी जि. बालाघाट
3. श्रीमती दिवलाबाई उम्र 31 वर्ष पति जितेन्द्र जाति पंवार नि. परसाटोला जि. बालाघाट.....वादीगण

—: ब न म :—

1. श्रीमती विमलाबाई उम्र 39 वर्ष पति मनराखन जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट
2. श्रीमती मिथलाबाई उम्र 35 वर्ष पति मोहनलाल जाति पंवार नि. सोनपुरी उकवा तह. बैहर जि. बालाघाट
3. श्रीमती फुलवंताबाई उम्र 61 वर्ष पति स्व. साधुराम जाति पंवार नि. रमगढ़ी तह. बिरसा जि. बालाघाट
4. श्रीमती कमलाबाई उम्र 51 वर्ष पति स्व. समीलाल जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट
5. श्रीमती अनुपाबाई उम्र 91 वर्ष पति स्व. चैतराम जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट
6. श्रीमती शांतिबाई उम्र 66 वर्ष पति स्व. चैतराम जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट
7. मनराखन उम्र 45 वर्ष पिता हीरालाल जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट
8. भूपेन्द्र कुमार उम्र 32 वर्ष पिता समीलाल जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट
9. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला बालाघाट.....प्रतिवादीगण

DECREE IN ORIGINAL SUIT
(Code of Civil Procedure 1908, order XX, Rules 6 and 7)

Civil Suit No.- 18अ / 2014

THE COURT OF- डी.एस. मंडलोई, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर, जिला बालाघाट, म.प्र.

श्रीमती इमलाबाई उम्र 37 साल पति नेमीचंद जाति पंवार नि. परसवाड़ा जि. बालाघाट वगैरह.....**Plaintiff**
श्रीमती विमलाबाई 39 वर्ष पति मनराखन पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट वगैरह.....**Defendant**
Claim for- दावी वास्ते अंश निर्धारण की घोषणार्थ एवं अंशानुसार कब्जा प्राप्ति हेतु तथा संशोधन पंजी क्र. 11 दिनांक 28.7.1984, 04.4.1995 व ग्राम पंचायत प्रस्ताव दिनांक 15.8.2007 को अवैधानिक एवं प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु.

This coming on this day for final disposal before me in the presence of
(for the Plaintiff) श्री वाय.आर. चौधरी अधिवक्ता.

(for the defendant) प्रतिवादी क्र. 1 से 8 द्वारा श्री एम.पी. शरणागत अधिवक्ता, प्रतिवादी क्र. 9 पूर्व से एकपक्षीय.

It is ordered and decreed that उभयपक्ष द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. स्वीकार कर, राजीनामा के आधार पर निम्न आज्ञा पारित की जाती है कि :-

1— ग्राम पोण्डी रा.नि.मं. परसवाड़ा स्थित खसरा नं. 49/1 रकबा 5.46 डिसमिल भूमि वादीगण को 0.78 डि., 0.78 डि. तथा प्रतिवादी क्र. 3 फुलवंताबाई को 0.78 डि. भूमि रहेगी। पूर्व बंटवारे में मिथलाबाई द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 विमलाबाई को उक्त खसरे की 0.53 डि. एवं कमलाबाई द्वारा 0.78 डि. भूमि दी गई है और वे इस बंटवारे से सहमत हैं, इसलिए प्रतिवादी क्र. 2 मिथलाबाई के नाम से 0.25 डि. भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी क्र. 2 तथा 4 द्वारा अपने हिस्से की भूमि विमलाबाई को दी गई है इसलिए उसके हिस्से में 2.09 एकड़ भूमि प्राप्त होगी। विमलाबाई द्वारा उक्त खसरे नंबर की भूमि में से 0.05 डि. भूमि को विक्रय कर दी गई है इसलिए विमलाबाई के नाम से 2.04 एकड़ भूमि रहेगी। उक्त भूमि बैहर-लामता रोड़ एवं बैहर-चिरईडोंगरी से लगकर है, इसलिए बंटवारे में आई कृषि भूमि रोड़ से लगकर सीधा-सीधा विभाजन करेंगे।

2— ग्राम पोण्डी रा.नि.मं. परसवाड़ा में से खसरा नं. 191/2 रकबा 0.061 हे., खसरा नं. 256/2 रकबा 0.198, खसरा नं. 272/2 रकबा 1.003 एवं खसरा नं. 304/4 रकबा 0.704 हे. कुल रकबा 1.966 हे./4.95 एकड़ भूमि है जो प्रतिवादी क्र. 6 शांतिबाई जौजे चैतराम के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज है, जिसमें से वादीगण के नाम से 1.00, 1.00 एकड़ तथा प्रतिवादी क्र. 2 मिथलाबाई के नाम से 1.00 एकड़ भूमि होगी तथा बची हुई शेष भूमि प्रतिवादी क्र. 6 शांतिबाई के नाम से रहेगी। शांतिबाई अपनी बची हुई उक्त खसरे की शेष बची हुई भूमि को अपनी इच्छानुसार देने स्वतंत्र रहेगी। उक्त बची हुई भूमि पर इसके कोई वारसान अपने हक निर्धारित करेंगे।

3— उभयपक्षों का यह अंतिम विभाजन रहेगा। इसके पश्चात उभयपक्ष स्व. चैतराम पिता डोमनसिंह की पैतृक भूमि के विभाजन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद व वादपत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्र. 1 तथा प्रतिवादी क्र. 7 अन्य संस्था द्वारा ऋण लिया गया है जिसकी अदायगी प्रतिवादी क्र. 1 एवं प्रतिवादी क्र. 7 करेंगे।

4— उभयपक्ष अपना-अपना वादव्यय वहन करेंगे।

P.T.O.

and that the sum of Rs. उभयपक्ष अपना-अपना वादव्यय वहन करेंगे be paid by the ~~-----~~
defendant

~~with interest there on at the rate of~~ defendant percent
~~per annum from this date of realization~~

Given under my hand the seal of the Court this 20-9-2014 day of
judge

COSTS OF SUITS

Plaintiff			Defendant		
	Rs.	P.		Rs.	P.
1- Stamp for plaint	1700-00			
2- Stamp for application & affidavit....	30-00		Stamp for application & affidavit....	10-00	
3- Stamp for power	--	Stamp for power	--
4- Stamp for exhibit	/	Stamp for exhibit	/
5- Pleader's fee on Rs.प्रमाणपत्र पेश नहीं			Stamp for petitions	
6- Subsistence or witness		Pleader's fee on Rs.प्रमाणपत्र पेश नहीं		
7- Commissioner's fee		Subsistence or witness	
8- Service of process	--	Service of process	
			Commissioner's fee	
Total	1730-00		Total	10-00	

(एक हजार सात सौ तीस रूपए)

(दस रूपए)